



# डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

वर्ष 2015 का दीक्षान्त समारोह

28 अक्टूबर 2015

अनुमति-प्रपत्र-उत्तरीय - क

क्रम संख्या.....

यह प्रपत्र अभ्यर्थी द्वारा सीनेट हाउस, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अधीक्षक प्रशासन को दिया जाना है जिनको ये निर्देश दिया है कि बिना इस प्रपत्र के उत्तरीय प्रदान न करें।

(विश्वविद्यालय कार्यालय में भरा जायेगा)

कृपया ..... की उपाधि हेतु एक सैट उत्तरीय का निम्नलिखित को देवें और निर्धारित धनराशि रू0 150/- ले लें तथा उत्तरीय जमा कराने पर रू0 100/- वापिस कर दें।

अभ्यर्थी का नाम .....

पता .....

अनुक्रमांक .....

दिनांक .....

कृते कुलसचिव

(निर्देशों के लिए कृपया इस प्रपत्र के दूसरी ओर देखें।)

विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी से एक सैट उत्तरीय का इस प्रपत्र के दूसरी ओर मुद्रित शर्तों पर प्राप्त किया।

नाम .....

अनुक्रमांक.....परीक्षा.....

दिनांक .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

एक सैट उत्तरीय निम्नलिखित अभ्यर्थी से वापस प्राप्त किया तथा रू0 100/- वापस किये गये।

नाम .....

अनुक्रमांक.....परीक्षा.....

दिनांक .....

(यह रसीद सुरक्षित रखें।)

विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी की मुहर

(क)

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

1. किसी भी उस अभ्यर्थी को दीक्षान्त वितान में जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिसने विश्वविद्यालय, द्वारा निर्धारित उत्तरीय धारण नहीं की है।
2. उत्तरीय अभ्यर्थियों को अधीक्षक (प्रशासन) डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, पालीवाल पार्क परिसर, आगरा में 25, 26 अक्टूबर 2015 (रविवार, सोमवार) को एवं 27 अक्टूबर 2015 को सेंट पदम चन्द जैन प्रबन्धन संस्थान खंदारी परिसर में प्रातः 10:30 बजे से 04:30 तक किराये पर दी जायेगी। उपाधि-पत्र तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि उपाधि-अनुमति प्रपत्र पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी की मुहर दीक्षान्त समारोह के लिए उत्तरीय प्राप्ति के प्रमाण-स्वरूप न लगवा ली जाय।
3. यह प्रपत्र अभ्यर्थी द्वारा अधीक्षक (प्रशासन) को दिया जाना चाहिए तथा निर्धारित धनराशि रू० 150/- देकर उत्तरीय प्राप्त करना चाहिए।
4. दीक्षान्त समारोह समाप्त होने के उपरान्त अभ्यर्थी उत्तरीय को विश्वविद्यालय अधीक्षक (प्रशासन) को सुरक्षित लौटाने का स्वयं उत्तरादायी है।
5. अभ्यर्थी को चाहिए कि वह दीक्षान्त समारोह समाप्त होने के पश्चात उत्तरीय को लौटा दें तथा रू० 100/- वापिस प्राप्त कर लें। किसी प्रकार के विवाद की दशा में न्यायालय क्षेत्र आगरा में ही होगा।
6. अभ्यर्थियों को परामर्श है कि वे उत्तरीय लौटाने की रसीद को भली-भाँति सुरक्षित रखें।